लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 87 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 18.09.2020
GCMS NO:-2020/00338

श्री अरूण मीणा निवासी 12 शिव मंदिर सुभाष कॉलोनी, डाईट रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 13.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 87 / 2020 / (13.10) / 622 दिनांक 18.09.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / 2020 / 826 दिनांक 24.09.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से दिनांक 01.08.1984 को आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग रूपान्तरण कर आवासीय पट्टे जारी किये जाने संबंधित चाही गई वांछित सूचना के कम में इस कार्यालय के पत्रांक/लोसूअ/2020/798 दिनांक 21.09.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसके द्वारा भू–रूपान्तरण से संबंधित सूचना चाही गई थी उक्त आवेदन पर सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से जारी नहीं किए गए जबकि प्रार्थी के पास इस बाबत् पुख्ता साक्ष्य है जिसकी प्रतिलिपियां संलग्न है अतः सक्षम अधिकारी को आदेशित करावें कि चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, दस्तावेजात तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/लो.सू.अ./2020/826 दिनांक 24.09.2020 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से ग्राम मीठाराम जी का खेड़ा के आराजी नम्बर 115 एवं 116/1 में दिनांक 01.08.1984 को श्री नाथूलाल मीणा पिता रामसहाय मीणा व अन्य व्यक्तियों के नाम जारी आवासीय पट्टों एवं नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई है इस संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/लो.सू.अ./2020/798 दिनांक 21.09.2020 से अपीलार्थी को उनके कार्यालय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग रूपान्तरण कर आवासीय पट्टे जारी नहीं करने संबंधी सूचना से अवगत कराया है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से मिसल नम्बर 663/82 से दिनांक 01.08.84 को श्री भैरूलाल मीणा पिता रामसहाय मीणा निवासी चित्तौड़गढ़ के नाम पट्टा जारी किया गया है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से चाही गई सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां अपने कार्यालय में तथा वर्ष 1984 के जमा रेकार्ड में तलाश करा अपीलार्थी को अविलम्ब निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./87/2020(सू.अ.)/673 दिनांकः– 13/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री अरूण मीणा निवासी 12 शिव मंदिर सुभाष कॉलोनी, डाईट रोड़, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official